

क्रमांक: एफ 13(2)/ग्रावि/गुप-6/मगरा मार्गदर्शिका संशोधित /2022/3441-जयपुर, दिनांक- 21/10/2022
87

--परिपत्र--

डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजना की दिशा-निर्देशिका (संशोधित)-2015 के बिन्दु संख्या 4.3 एवं 7.2 में संशोधन कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

बिन्दु संख्या 4.3-

- (i) उपलब्ध निधि की 50 प्रतिशत राशि-संबंधित जिले की योजना में शामिल ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल परिवारों की संख्या के आधार पर।
- (ii) उपलब्ध निधि की 50 प्रतिशत राशि-संबंधित जिले में डांग/मगरा / मेवात क्षेत्र की ग्रामों की संख्या के आधार पर।

बिन्दु संख्या 7.2-

श्री के स्थान पर जेश्री किया जाता है-

J-Janpratinidhi / Janata / Janupyogi
S-Sanitation
H-Health
R-Rural Connectivity
E-Education
E-Energy

यह वित्त विभाग की आई.डी. संख्या-102205355, दिनांक 13.09.2022 से अनुमोदित है।

(मंजू अजपाल)

शासन सचिव ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. रा. विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय अध्यक्ष, डांग / मगरा / मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
11. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर एवं जोधपुर।
12. जिला कलक्टर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, पाली, राजसमंद, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, वारां एवं झालावाड।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- अलवर, भरतपुर, अजमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, पाली, राजसमंद, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, वारां एवं झालावाड को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित माननीय सांसद/विधायक/जिला प्रमुख को उक्त परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।
14. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
15. एसीपी, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (एसएपी)